

**नोट:-**

1. E अर्थात ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिये पात्र है।
2. DE/NE अर्थात ऐसे छात्र जिनकी वर्तमान उपस्थिती विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिये न्यूनतम उपस्थिति से कम है, अतः परीक्षा में बैठने के लिये अपात्र है।
3. यदि किसी छात्र का नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं है तो वह अपने विभाग से संपर्क कर अपनी उपस्थिती की स्थिति स्पष्ट करे एवं अपने नाम को सूची में सम्मिलित करने का आवेदन करें। ऐसा न करने की स्थिति में दुष्परिणामों के लिए छात्र स्वयं ही उत्तरदायी होगा।